



सहाद्री

वर्ष-2014

अंक-3



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र
पुणे

गृह-पत्रिका
सहाद्री

इस पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचारों और तथ्यों आदि के लिए लेखक/रचनाकार स्वयं उत्तरदायी हैं। इस विभाग का अथवा संपादक मंडल का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

केवल आंतरिक परिचालन के लिए विक्रय के लिए नहीं

महाराष्ट्र एवं गोवा
भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र,
पुणे

दूरभाष/फैक्स: 020-26614665

ई-मेल: mhgoa.pune.soi@gov.in

मुख्य संरक्षक
उमाकांत नारायण गुर्जर
निदेशक

संपादक
एन.सामंतरे
अधीक्षक सर्वेक्षक

उप-संपादक
बी० के० सोनपरोते
कार्यालय अधीक्षक

संपादक मंडल
नीरज गुर्जर, उपाधीक्षक सर्वेक्षक
डी० पी० घिल्डियाल, अधिकारी सर्वेक्षक
एस० पी० गायकवाड़, अधिकारी सर्वेक्षक
ओमप्रकाश, अधिकारी सर्वेक्षक

सहयोग
अखिलेश कुमार सिंह
अवर श्रेणी लिपिक

कम्प्यूटर टाईपिंग व सेटिंग
रितेश कुमार, अवर श्रेणी लिपिक

साभार मुद्रण : दक्षिणी मुद्रण वर्ग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग।

डॉ० स्वर्ण सुब्बा राव
Dr. SWARNA SUBBA RAO

भारत के महासर्वेक्षक
Surveyor General of India



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
महासर्वेक्षक का कार्यालय,
हाथीबड़कला एस्टेट, पोस्ट बॉक्स नं० 37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड) भारत
SURVEY OF INDIA
Surveyor General's Office,
Hathibarkala Estate, Post Box No.-37
Dehradun-248001, (Uttarakhand) India



संदेश

अत्यन्त हर्ष की बात है कि महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पुणे द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपनी गृह पत्रिका "सह्याद्रि" के तृतीय अंक का प्रकाशन करने जा रहा है।

आपका यह प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि राष्ट्र की उन्नति में राजभाषा एवं संस्कृति का विशेष योगदान होता है एवं पत्रिकाएं भाषा एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। मैं आशा करता हूँ कि, इस पत्रिका के प्रकाशन से हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा अधिकारियों एवं कर्मचारीयों की रचनात्मक प्रतिभा का विकास भी होगा।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए इस पत्रिका से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारीयों को उनके प्रयास के लिए हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं।

(डॉ० स्वर्ण सुब्बा राव)
भारत के महासर्वेक्षक

उमाकांत नारायण गुर्जर
निदेशक

UMAKANT NARAYAN GURJAR
DIRECTOR



भारतीय सर्वेक्षण विभाग

निदेशक का कार्यालय

महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र
फुले नगर, आलंदी रोड, पुणे - 411 006 (महाराष्ट्र)

SURVEY OF INDIA
OFFICE OF THE DIRECTOR
MAHARASHTRA & GOA
GEO-SPATIAL DATA CENTRE
PHULE NAGAR, ALANDI ROAD
PUNE - 411 006 (MH)



संदेश

महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, पुणे द्वारा हिन्दी गृह पत्रिका “सह्याद्री” के तृतीय अंक को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। गृह पत्रिका जहां कर्मचारियों एवं अधिकारियों की रचनात्मक प्रतिभा को उजागर करती है, वहीं उनमें राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए आत्मविश्वास पैदा करती है।

आत्मविश्वास वह ऊर्जा है, जो बंद दरवाजे खोलती है एवं जीवन के प्रत्येक वृत्तों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करती है। भारत की सामासिक संस्कृति को राजभाषा में व्यक्त करने एवं इसका प्रचार प्रसार बढ़ाने हेतु “सह्याद्री” पत्रिका का प्रकाशन विगत वर्षों से महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, पुणे द्वारा किया जा रहा है।

आशा है कि, इस पत्रिका में लिखी गई रचनाएं, लेख एवं कविताएँ राजभाषा के प्रचार-प्रसार में सहायक होंगी। इस अंक के सभी रचनाकारों को बधाई देते हुए आशान्वित हूँ कि यह अंक भी अन्य अंकों की भाँती सफल एवं राजभाषा कार्यान्वयन क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन प्रदायी होगी।

(यु.एन.गुर्जर)

निदेशक

महा. एवं गोवा भू-स्था. आँ. केन्द्र



संपादकीय

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, पूणे की हिन्दी गृह पत्रिका “सह्याद्री” के तृतीय अंक में मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होने पर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है और भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है।

हमारी गृह पत्रिका “सह्याद्री” के इस अंक को हर वर्ष की भांति सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के योगदान के कारण संभव हो पाया है। पत्रिका के प्रकाशन से कार्यालय में हिन्दी में काम करने का वातावरण तैयार होगा जिससे राजभाषा कार्यान्वयन हेतु पूरी लगन से काम कर, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को जल्द प्राप्त किया जा सकेगा। आशा है कि इस पत्रिका में प्रकाशित लेख पाठकों द्वारा पसंद किए जाएंगे।

इस संदर्भ में, मैं निदेशालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से अपने सोच और विचारों से हिन्दी को लोकप्रिय बनाने में अपना सहयोग दिया। मैं पत्रिका से जुड़े हर उस व्यक्ति को बधाई देता हूँ जिन्होंने अपनी रचनाएं देकर पत्रिका के सफल प्रकाशन के योग्य बनाया। इसी आशा के साथ कि भविष्य में भी आप सभी अपना सहयोग बनाए रखेंगे।


शुभकामनाओं सहित।

नि. सामंतरे
(एन.सामंतरे)

अधीक्षक सर्वेक्षक,
महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्था० आँकड़ा केन्द्र,



विज्ञान दिवस की झलकियाँ।



महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र में आयोजित वार्षिक समारोह की कुछ झलकियाँ।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	रचना का नाम	रचनाकार/लेखक का नाम सर्व श्री/श्रीमती	पृष्ठ सं.
01.	भारतीय राष्ट्रध्वज भारत की शान	यु.एन.गुर्जर, निदेशक	3.
02.	हिन्दी:- राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा	ए. के. सिंह	5.
03.	हिंदी दिवस	नवनाथ उगलमुगले	7.
04.	मुहावरे का अर्थ	एस. जी. पराते	7.
05.	हमारी राष्ट्रभाषा,	एस. जी. पराते	8.
06.	मिजोरम राज्य में विभागीय कार्य (फिल्ड) के दौरान का अनुभव	यु.एन.गुर्जर, निदेशक	9.
07.	मानचित्र निर्माण	कुलकर्णी प्रज्ञा हरिहर	12.
08.	हर हाल में खुश रहो	बी. के. सोनपरोते	13.
09.	बोनालु	श्री एस.श्रीनिवास	14.
10.	कबीर युगीन धार्मिक परिवेश एवं उनके चिन्तन	ए. के. सिंह	15.
11.	आज की सच्चाई	महादेव सुर्यवंशी	16.
12.	आम का पेड़/सही सोच	बी. के. सोनपरोते	17.
13.	ग्राम पंचायत का महत्व	एस. जी. पराते	18.
14.	क्या इस दुनिया में ईश्वर हैं	डी.सी.अंभोरे	19.
15.	वैज्ञानिक मनोवृत्ति	सत्यव्रत शशीभूषण	20.
16.	जातिवाद का जन्म	डी.सी.अंभोरे	23.
17.	महाराष्ट्र का विजयस्तंभ	प्रवीण जामगड़े,	24.
18.	लोग आईना हैं	बी. के. सोनपरोते	26.
19.	कौन	डी.सी.अंभोरे	26.
20.	हिंदी है सम्मान की भाषा	नवनाथ उगलमुगले	27.
21.	दूसरो की दृष्टि में हम कहाँ	बी. के. सोनपरोते	28.
22.	जीवन से ना हार	नवनाथ उगलमुगले	29.
23.	कार्यालय में संयम कैसे रखे	एस. ओ. जैकब	30.
24.	वक्त नहीं	महादेव सुर्यवंशी	31.
25.	जीवन का अनोखा पाठ/हँसी/सही सोच,विचार	बी. के. सोनपरोते	32.
26.	शब्द समूह के लिए एक शब्द	एस. जी. पराते	33.

“भारतीय राष्ट्रध्वज भारत की शान”

श्री यु.एन. गुर्जर, निदेशक

भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन अविभाजित भारत को भारत के अंतिम वायसराय लार्ड माउंटबेटन द्वारा दो हिस्सों में बांटा गया। भारत एवं पाकिस्तान को तब उनके द्वारा यह सूचना दी गई थी कि ब्रिटेन के राष्ट्रध्वज में अंकित यूनियन जैक/नीला बैनर को भारत एवं पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वजों में समाहित किया जाए। परंतु यह प्रतीक भारत के राष्ट्रध्वज का हिस्सा नहीं बन सके। स्वतंत्र भारत का अपना नवीन राष्ट्रध्वज हो इस हेतु दिनांक 23 जून 1947 को समिति नियुक्त की गई। इस समिति में डॉ. भीमराव अम्बेडकर, अब्दुल कलाम आजाद, सी. राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, के.एम. पनीकर, के.एम. मुन्शी, एस.एम. गुसा, फ्रैंक एन्थोनी एवं सरदार उज्जवल सिंह ऐसे नौ सदस्यों का समावेश था। इस समिति को राष्ट्रध्वज कैसा हो इस हेतु नित नवीन सुझाव प्राप्त होते थे और आपस में काफी चर्चा होती थी। 14 जुलाई 1947 को काफी चर्चा के पश्चात यह तय किया गया कि 1931 से स्वातंत्र्य संग्राम में उपयोग में लाये गये तिरंगे ध्वज में अंकित चरखे के बदले नीले रंग का “अशोकचक्र” ध्वज के केन्द्र में रखा जाना समिति द्वारा निश्चित किया गया। ऐसे चार रंगों का अर्थात् केसरी, सफेद, हरा एवं नीले रंग का अशोकचक्रांकित ध्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिनांक 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकृत करने का प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा में इस राष्ट्रध्वज पर विस्तार से चर्चा हुई जिसमें अशोकचक्र पर प्रमुख चर्चा की गई। सभा में से कुछ मान्यवर सदस्यों ने अशोकचक्र पर अपने निम्न विचार व्यक्त किये:-



पंडित जवाहरलाल नेहरू- अशोकचक्र भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है, सम्राट अशोक का कार्यकाल सही अर्थों में भारतीय इतिहास का अंतर्राष्ट्रीय काल था, क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिनिधि अन्य देशों में दूत बनकर नहीं अपितु भारतीय संस्कृति तथा शांति सदभावना के दूत बनाकर भेजे थे। इसलिए यह राष्ट्रध्वज यानि स्वातंत्र, शांति एवं सदभावना का प्रतीक बनकर रहेगा।

एच.वी. कामत- अशोकचक्र यानि धर्मचक्र एवं न्याय का चक्र है।

शेठ गोविंददास- सम्राट अशोक ने प्रेम, सदभावना के माध्यम से संपूर्ण संसार को संगठित करने का प्रयास किया। यह सिर्फ भारत ही नहीं पूर्ण संसार के इतिहासकारों ने मान्य किया।

फ्रैंक आर. एन्थोनी- राष्ट्रध्वज का ख्याल रखना या उसके समक्ष शीश झुकाना महत्वपूर्ण है, परंतु राष्ट्रध्वज के लिए जीवन समर्पित करना अधिक महत्वपूर्ण है।

वी.आर. मुनिस्वामी पिल्लई- सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के ज्ञान का अनुसरण कर पंचशील, शांति, सदभावना एवं मानवता की सीख हम तक पहुंचाई, इसलिए मैं राष्ट्रध्वज पर अशोकचक्र अंकित करने का स्वागत करता हूँ।

सरोजनी नायडू- सम्राट अशोक ने शांति एवं सदभावना के माध्यम से पूर्ण संसार को संगठित करने का भव्य संदेश इस धर्मचक्र से दिया है यह ध्वज समानता का प्रतीक है।

अतः 22 जुलाई 1947 से इस चार रंगों वाले राष्ट्रध्वज को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता दी गई। इस प्रकार राष्ट्रध्वज के प्रत्येक रंग का अर्थ है तथा अशोकचक्र का महत्व भी जान लेना जरूरी है।

केसरी- त्याग का प्रतीक।

सफेद- पवित्रता, शुद्धता का प्रतीक।

हरा- प्रकृति से नाता जोड़नेवाला, समृद्धि का प्रतीक।

नीला- आकाश का रंग, समानता का प्रतीक।



भारत का राष्ट्रध्वज चार रंगों का है न की तीन रंगों का जैसा की हमेशा कहा जाता है। अतः भारत के संविधान में निहित मूलभूत कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क(क) में दिये गये निर्देशों एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रध्वज संबंधित नियमों का पालन करना एवं राष्ट्रध्वज का सम्मान रखना, हम सब भारतवासियों का प्राथमिक कर्तव्य है।

कोई भी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती यदि वह अपने को अन्य से पृथक रखने का प्रयास करे।

महात्मा गाँधी

हिन्दी:- राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा

ए. के. सिंह, अ.श्रे. लि.

किसी देश के अधिकांश लोगों द्वारा समझी तथा प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा का सम्मान देश को गरिमा और गौरव प्रदान करता है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने राष्ट्रीय भावना से आन्दोलित होकर लिखा है -



“निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल,
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सूल”

प्रशासन की भाषा या राजकाज चलाने की भाषा अर्थात् भाषा का वह स्वरूप जिसके द्वारा राजकीय कार्य चलाने की सुविधा हो राजभाषा कहलाती हैं। हिन्दी भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा दोनों है, इसके विविध रूप राष्ट्रभाषा के आधार स्वरूप है। राष्ट्रभाषा के लिए संविधान में मान्यता की अपेक्षा नहीं होती है, यह देश के अधिकांश लोगों की मानसिक स्वीकृति पर प्रतिष्ठित होती है।

हिन्दी के प्राथमिक स्वरूप के विकास उत्तर अपभ्रंशकालीन युग से ग्यारहवीं शताब्दी से हुआ। प्राचीन काल के सिक्कों से यह ज्ञात होता है कि देवनागरी का प्रयोग मुहम्मद गोरी के सिक्कों पर मिलता है। इस सम्पर्क भाषा का और अधिक विकास तब हुआ जब 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन तथा तूगलक के कारण उत्तर भारत के लोग बड़ी संख्या में दक्षिण में गये। बाद में प्रशासनिक दृष्टि से अकबर ने मालवा, बरार, खानदेश एवं गुजरात को मिलाकर दक्षिण प्रदेश बनाया। उस समय कुछ मुस्लिम परिवारों के अतिरिक्त शेष सभी व्यापारी एवं श्रमिक सभी जगह खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। सिकन्दर लोदी के शासन काल में भी राज्य का हिसाब-किताब हिन्दी में होता था। शेरशाह सूरी के सिक्कों में नागरी तथा फारसी दोनों का उल्लेख मिलता है। जिला स्तर पर आज प्रशासनिक भाषा का जो ढाँचा है, उसकी बहुत कुछ देन मुगल काल की है। मुगलों की राजकाज की भाषा फारसी भले ही ऊपरी तौर पर हो पर चूँकि यह बोल-चाल की भाषा नहीं थी, इसलिए हिन्दी सह-राजभाषा के रूप में विकसित हो रही थी। मराठा प्रशासन में हिन्दी का व्यापक प्रयोग ताम्रपत्र लिखने, राजनीतिक समझौते, सेना प्रशासन में एवं मराठी से हिन्दी अनुवाद में मिलता है। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में तो पूरा पत्राचार हिन्दी में होता था। ग्वालियर नरेश महाराज सयाजी राव सिंधिया ने दीवान शेख गुलाम हुसैन के द्वारा यह 27 नवंबर 1853 को आज्ञा प्रचारित की, कि फारसी शब्दों का प्रयोग करने पर दंड की व्यवस्था की गयी है।

राष्ट्रभाषा सदैव लोकभाषा होती है, पर राजभाषा कभी-कभी विदेशी भी हो सकती है। जब भारत में देशी साम्राज्यों का पतन हुआ और पश्चिमोत्तर से आए इस्लामी शासकों के अधीन सारा भारत आ गया तो भारत का सारा राजकाज फारसी में चलने लगा। इसी प्रकार, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अंग्रेजों ने राजकाज अंग्रेजी भाषा में चलाया।

साथ ही निजाम के हैदराबाद में उर्दू, पाँडिचेरी और चंदन नगर में फ्रांसिसी तथा गोवा-दमन में पोर्तगीज भाषा राजभाषा के पद पर बैठायी गई थी।

भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हिन्दी के साथ साथ और 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। ये भाषायें उस समय के 14 राज्यों की अपनी अपनी प्रादेशिक भाषा हैं। अनुच्छेद 345 के द्वारा राज्यों को आज भी यह अधिकार प्रदान किया गया है कि “राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक या हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है।” भारतीय संविधान के भाग 5, 6 एवं 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। राजभाषा का प्रारंभिक उल्लेख अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार किया गया है - “संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।” भारतीय संविधान में “राजभाषा” शब्द के प्रयोग के अंतर्गत राष्ट्रभाषा हिन्दी, सम्पर्क भाषा हिन्दी और भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यंजना कर सकने वाली भाषा के रूप में हिन्दी का अभिप्राय विद्यमान है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में राजभाषा संबंधी भाग स्वीकृत होने पर सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा - “आज पहली बार हम अपने संविधान में एक भाषा स्वीकार कर रहे हैं जो भारत संघ के प्रशासन की भाषा होगी और जिसे समय के अनुसार अपने आप को ढालना और विकसित करना होगा।”

यह तय है कि भारत की 5 प्रतिशत अंग्रेजी पूरे लोकतंत्र देश का पर्याय नहीं बन सकती। जब तक देश का काम देश की भाषा में नहीं होगा जनता से संबद्ध होना असंभव है।

पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है,
क्योंकि पुस्तकें अन्तःकरण को उज्ज्वल
करती हैं ।

महात्मा गाँधी

हिंदी दिवस

नवनाथ किसन उगलमुगले, खलासी

कल रात हिंदी मेरे सपने में आई थी,
उसके मुखमंडल पर गहरी उदासी छाई थी।
मैंने पूछा हिंदी से, इतना गुमसुम हो कैसे ?
अब तो हिंदी दिवस है आना
सम्मान तुम्हें सब से है पाना।
हिंदी बोली यही गिला है,
वर्ष का इक दिन मुझे मिला है।
अपने देश में मैं हूँ पराई,
ऐसा मान मैं न चाहूँ भाई।
मेरे बच्चे मुझे न जानें,
लोहा अंग्रेजी का मानें।
सीखें लोग यहाँ जापानी,
पर मैं हूँ बिल्कुल अनजानी।
हिंदी की ये बात सुनी जब,
गलानी से भर उठा मैं तब।
सोचा माँ की पीर बटा दूँ,
जन-जन तक हिंदी पहुंचा दूँ।



मुहावरे का अर्थ

श्री एस.जी. पराते, सहायक

1. कान खोलकर सुनना- ध्यान से सुनना।
2. कहीं का न रहना- बरबाद हो जाना।
3. खुशी का ठिकाना न रहना- बहुत खुश होना।
4. तरस जाना- पाने के लिए व्याकुल होना।
5. दाद देना- प्रशंसा करना।
6. पहाड़ टूट पड़ना- भारी विपत्ति आना।
7. फूला न समाना- बहुत प्रसन्न होना।
8. हक्का-बक्का रहना- विस्मित रह जाना।
10. वज्रपात होना- एकाएक भारी संकट आना।



हमारी राष्ट्रभाषा

श्री एस.जी. पराते, सहायक



हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा,
जानिये इसके गुण।
राहें इसकी सीधी हैं,
बाँटे अपनापन।
मजहब इसका जोड़ना,
मृदु है अंतर्मन।
प्रयोग करना आसान है,
शुरू करने की है देर।
प्रचार और प्रसार से,
होगा अज्ञान दूर।
संस्कृति और सभ्यता का,
विकास का यह माध्यम है।
एकात्मिकता का प्रतीक,
एवम् विदेशों की सबसे बड़े
गणराज्य की राजभाषा है।
हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है,
हिन्दी राजभाषा है।

“जय हिन्द”

मैं हिन्दी के जरिए प्रांतीय भाषाओं को दबाना नहीं
चाहता किंतु उनके साथ हिन्दी को भी मिला देना
चाहता हूँ।

- महात्मा गाँधी

मिजोरम राज्य में विभागीय कार्य (फिल्ड) के दौरान का अनुभव

श्री यु.एन. गुर्जर, निदेशक

सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद(वर्तमान में आई.आई.एस.एम.) से प्रशिक्षण के पश्चात मेरी पहली नियुक्ति वर्ष 1987 में दल क्रं.81 (उत्तर-पूर्वी सर्किल) सिल्चर, असम में हुई थी। जिसे वर्तमान में त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र के नाम से जाना जाता है। दल क्र.81 का मुख्यालय सिल्चर था एवं निदेशालय शिलांग में स्थित था और सिल्चर में प्रभारी अधिकारी के मार्फत कार्यालय का कार्य संचालित किया जाता था।



जब मैंने अपने साथियों एवं अन्य कर्मियों को इस स्थान के बारे में पूछा तो सभी के जवाब अलग-अलग थे। कोई उसे नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में स्थित होने की बात कह रहे थे। उस समय मुझे लगा की मैं स्वयं एवं अन्य लोग भी अपने देश के उत्तर-पूर्व के प्रदेशों के स्थानों के बारे में बहुत कम ज्ञान है। अंत में यह पता लगा कि यह स्थान असम राज्य में स्थित है जो हैदराबाद से लगभग 2,500 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पहुँचने में लगभग चार(4) दिनों का समय रेलमार्ग द्वारा लगता है। कोलकाता एवं गुवाहाटी से वायुमार्ग द्वारा भी जाने की सुविधा उपलब्ध थी।

अवकाश व्यतीत करने के पश्चात मैं कोलकाता से वायुमार्ग द्वारा सिल्चर पहुंचा तो मैंने यह पाया कि यह छोटा शहर है, जिसके पास से बराक नदी गुजरती है और प्रत्येक वर्ष उसमें नियमित रूप से बाढ़ आती है। जिससे वहाँ का जनजीवन अस्त-व्यस्त होता है और जीवनावश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगते हैं क्योंकि वहाँ सभी सामान बाहर से आता है। वहाँ मुख्य रूप में बंगाली समुदाय अधिक संख्या में है, इसलिए शहर पर बंगाली संस्कृति का प्रभाव है।




(बराक नदी सिल्चर, असम)

जैसा विभाग में उस समय प्रचलित था कि अधिकारियों को भी स्वतंत्र रूप से विभागीय कार्य करना आवश्यक था। इसी परिपेक्ष में मुझे भारत-ब्रह्मदेश(अभी म्यांमार) सीमा से लगी चार 1:50,000 शीटों का 1:25,000 पैमाने पर मॉडेल कन्ट्रोल का कार्य सौंपा गया था। सभी आवश्यक सामान एवं रिकॉर्ड के साथ अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा, चूकी यह भू-भाग मेरे लिए पूर्णतः नया था, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले का रहने वाला हूँ, जहाँ की भौगोलिक स्थिति सामान्य है। लेकिन उत्तर-पूर्व की भौगोलिक स्थिति पूर्णतः अलग है जिसमें उँचे-उँचे पहाड़, घाटियाँ, वादियाँ, नदी-नाले, हरे-भरे पेड़ों के घने जंगल आदि से जैसे प्रकृति ने अलग छटा बिछाई हो। जिसे देखकर मन को बहुत ही सुखद आनंद मिलता है और प्रकृति का यह दृश्य मनोरम और विहगम लगता है।

मुझे आवंटित शीटें मिजोरम में पड़ती थी। इसलिए आयजोल होकर पहला पड़ाव चम्पई में रखना पड़ा, जहाँ तहसील मुख्यालय था, उसके दूसरी ओर म्यांमार की सीमाएं थी। दोनों देशों के बीच टियाओ(TIO) नदी है जो इनको विभाजित करती है।

फिल्ड कार्य के दौरान एक जगह से दूसरी जगह जाना नियमित होता था। जिसमें स्थानिय लोगों से संपर्क करना अनिवार्य होता था, जैसे- सरपंच, सरकार के अन्य कर्मचारी आदि, वे सभी पूर्ण आदर के साथ व्यवहार करते थे और भरपूर सहयोग करते थे।



(आयजोल, मिजोरम)

साधारणतः पूर्ण मिजोरम में पहाड़ी पर ही क्रमबद्ध तरीके से घर बनाये जाते हैं। भवन लकड़ी के बने होते हैं तथा फर्श भी लकड़ी का ही रहता है। दूर से देखने से यह कतार में बनी सीढ़ी जैसे लगते हैं लेकिन अब पहाड़ के किनारों पर पक्के मकान बने हुए हैं। मिजो महिला ही परिवार के सभी कार्य देखती है। मिजो संस्कृति में बाहर से आये मेहमानों का स्वागत लाल चाय (बिना चीनी की) तथा क्वाई (जिसे हम सुपारी कहते हैं) से करते हैं। पान में उबाली हुई सुपारी रहती है। यह पान खाने से, जो नियमित पान का सेवन नहीं करते उन्हें चक्कर आता है। जिनके घर आप गये हैं वे चाय और क्वाई अवश्य देते हैं, जिसे स्वीकार नहीं करने से मिजो लोग अपना अनादर समझते हैं।

वैसे मिजो संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से मेल खाती है, क्योंकि वहाँ अधिक से अधिक समुदाय ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। वे अपने उत्सव बहुत धूमधाम एवं आनंदपूर्वक मनाते हैं और जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं। मिजो पुरुष को 'कप्पु' कहते हैं तथा महिला को 'कप्पी' कहा जाता है। मिजो लोग हमेशा हँसमुख रहते हैं और उनके मन में छल-कपट इत्यादि भावनाएं कभी नहीं देखी जाती हैं। वे प्रकृति के साथ अपना जीवन जीते हैं, वे बहुत ही आतिथ्य सत्कारी स्वभाव के होते हैं और उनसे जितना संभव हो उतनी सहायता करते हैं। जबकि भारत के अन्य भागों में इस संस्कृति का नामोनिशान लगभग नहीं के बराबर है तथा समाज से सामुदायिक/सामाजिक भावना लगभग नष्ट सी हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है।



(चम्पई, मिजोरम)

अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर, भारत के इस सुदूर सुंदर प्रदेश में इस प्रकार के सौहार्दपूर्ण व्यवहार को देखकर बहुत खुशी की अनुभूति होती थी और घर से दूर रहकर भी स्थानीय लोगों के अपनेपन के व्यवहार से यह प्रतीत होता था कि, जैसे हम अपने घर में ही हैं।

अतः मेरा अनुभव रहा है कि मिजो लोग बहुत ही अच्छे, भोले और हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, जिनके सहयोग से और मेरे साथ कार्य करने वाले सहकर्मियों की सहायता से मैं अपने आवंटित कार्य को पूर्ण कर सका।

मानचित्र निर्माण

कुलकर्णी प्रज्ञा हरिहर, सर्वेक्षक

पृथ्वी की सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति का पैमाने के सहायता से कागज के ऊपर बनाया हुआ लघुरूप यानि मानचित्र ! मानचित्र वस्तुतः त्रिविम (Three Dimensional)भूतल का द्विविम (Two Dimensional)चित्र प्रस्तुत करता है। मानचित्र पर प्रत्येक चिन्ह, चित्र या आकृति एक विशिष्ट स्थिति का बोध कराते हैं।इस प्रकार के चिन्हों के उपयोग से किसी भी भाषा के अंकित मानचित्र बिना उस भाषा के ज्ञान बिना भी ग्राह्य एवं पठनीय हो जाते हैं। मानचित्र पर अंकित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को दिए गए पैमाने से गुणा कर लिया जाए तो जमीन पर उनके बीच का अंतर तुरंत में ज्ञात हो जाता है।



पुराने जमाने में मानचित्र बनाने की शुरुआत लकड़ी, ईंट, पत्थरों पर चित्र बनाने से हुई। पहले आकाश,तारे, सूर्य का चित्रण किया गया। बाद में पृथ्वी के कुछ भागों के चित्रण समुद्र रेखा को संदर्भ में रखते हुए। विशिष्ट मार्ग को संदर्भ में रखते हुए किया गया। बाद में पृथ्वी का चित्रण करने के लिए पृथ्वी को एक गोल थाली जैसा माना गया।

(Anaximander)अनाक्सिमंडेर पहला ग्रीक था जिसने पूरे विश्व का चित्रण करना शुरू किया। पायथागोरस ने बताया कि पृथ्वी के गर्भ में आग है और उसने पृथ्वी को पाँच हिस्सों में बाट दिया । हिरोडोटस (Herodotus) ने बताया की पृथ्वी का आकार अनियमित है।

सूर्यग्रहण हमेशा गोलकार होता है, जैसे ही समुद्र में चलने वाले जहाज हमारी दृष्टिक्षेप से दूर हो जाते हैं वो डुबती हुए नजर आते हैं। कुछ तारे ऐसे होते हैं, जो पृथ्वी के कुछ भागों से ही दिखाई पड़ते हैं, इस का अभ्यास कर (Aristotle) ऐरिस्टोल ने बताया की पृथ्वी गोलाकार है।

(Eratosthenes) इरास्टोस्यनेस ने पृथ्वी की परिधि नापने के लिए इजिप्त देश की अलग-अलग जगहों पर जाकर अलग-अलग समय पर छाँव की ऊँचाईयाँ नापी । उसके पास दो छाँवों के बीच का अंतर था। उनकी ऊँचाई थी, उससे उसने दो बिंदुओं के बीच का कोण निकाला वही कोण 360 के लिए कितनी बार अधिक करना होगा उतनी बार अंतर को अधिक करते हुए बड़े से बड़ा वर्तुळ यानी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को ढूँढ निकाला।

(Ptolemy) प्लोटेमी ने ये ढूँढ निकाला की पृथ्वी का मानचित्र संदर्भ एवं परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण यथार्थतः बनाया जा सकता है। उसने सभी मानचित्र उत्तराभिमुख निकालने की शुरुआत की।

बोनालु

श्री एस.श्रीनिवास,सर्वेक्षक

बोनालु महाकाली माता (शक्ति स्वरूप) का त्योहार/उत्सव है। बोनालु त्योहार/उत्सव हैदराबाद, सिकंदराबाद, तेलंगाना एवं रायलसीमा के कुछ प्रांतों में मनाया जाता है। बोनालु आषाढ (जुलाई/अगस्त) माह में हर रविवार मनाया जाता है। येल्लम्मा माता का यह त्योहार/उत्सव भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने के संदर्भ में मनाया जाता है।



बोनालु 'बोनम्' का अर्थ भोजनालु (तेलगु में) है, यह बोनम् माता को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद है। इस त्योहार/उत्सव में महिलाएं चावल, दूध एवं चीनी मिलाकर पकवान बनाती हैं, जिसे मिट्टी के मटके में रखकर, मटके को चूना, नीम के पत्तों, हल्दी, कुमकुम इत्यादि से सजा कर माता के मंदिर में लेकर जाती हैं। उस मटके को माता के मंदिर की परिक्रमा कराने के पश्चात माताजी को चढ़ाती हैं।

माता के अनेक नाम हैं जैसे मैसम्मा, पोचम्मा, येल्लामा, पेद्दम्मा, पोलेरम्मा, मारेम्मा नुकालम्मा इत्यादि। हर एक माता की प्रत्येक रविवार को पूजा-अर्चना की जाती है।
बोनालु-उत्सव:-

बोनालु का त्योहार-उत्सव सन-1813 में हैदराबाद एवं सिकंदराबाद में संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया था। सन-1813 में हैदराबाद में प्लेग नामक महामारी फैली हुई थी और वहाँ के स्थानीय लोगों का यह मानना था कि "माँ के क्रोधित होने के कारण यहाँ महामारी फैल गई है"। कई लोगों का अंत हुआ था। स्थानीय लोग तब से ही इस त्योहार/उत्सव को हर साल मनाते आ रहे हैं।

धार्मिक:-

हर साल यह त्योहार/उत्सव प्रथम गोलकोंडा किले में स्थित महाकाली मंदिर में मनाया जाता है। गोलकोंडा के बाद सिकंदराबाद शहर में बोनालु त्योहार/उत्सव मनाया जाता है। सिकंदराबाद का बोनालु "लशकर बोनालु" के नाम से प्रचलित है। सिकंदराबाद के बाद बल्कंपेट येल्लम्मा मंदिर में मनाने के बाद से इस त्योहार/उत्सव को, हैदराबाद के पुराने शहर में हर वर्ष मनाया जा रहा है।

बोनालु त्योहार के दिन महिलाएं नई रेशमी साड़ी और गहने पहनकर बोनम (मटका) को अपने सिर पर रखकर एक समूह में माता के मंदिर की ओर नंगे पाँव चलती हैं। हर एक समूह के साथ एका 'तोटेला' (लकड़ियों के सहारे, रंगीन कागजों से बना पालना) अपनी मर्यादा के तौर पर मंदिर ले जाते हैं। कुछ महिलाएं अपने सिर पर सजा हुआ बोनम रखकर नाचते हुए मंदिर की ओर चलती हैं। बैड बाजा भी साथ में चलता है। महिलाएं, जो बोनम को मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जाती हैं उन्हें साक्षात देवी स्वरूप मानते हैं और उन महिलाओं के पाँवों को पाणी से अभिषेक करते हैं।

कबीर युगीन धार्मिक परिवेश एवं उनके चिन्तन

ए. के. सिंह, अ.श्रे. लि.

कबीरदास के आविर्भाव से बहुत पहले भारतीय संस्कृति अनेक विदेशी जातियों - शुक, आभीर, खस, हूण आदि को अपने अंदर समा चुकी थी और इसका मूल कारण यह था कि भारतीय संस्कृति में धर्म साधना व्यक्तिगत रही है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार धर्म की उपासना को चुनने या करने का अधिकार प्राप्त है। इस्लाम संस्कृति भारतीय समाज संगठन से ठीक उल्टी होने के कारण भारतीय संस्कृति से कभी मिल नहीं पाई। भारतीय समाज में जातिगत विशिष्टता बनाए रखते हुए धर्म साधना का प्रचलन था। इस्लाम जातिगत विशेषताओं को लोप करके समूहगत धर्म साधना का प्रचारक था एवं मूर्ति पूजा के विपरित एक निराकार ईश्वर की अराधना पर जोर देता था। परंतु दोनों समाज के कट्टरपंथि धर्म के मूल स्वरूप को छोड़कर बाहरी कर्मकांडों पर अधिक जोर देते थे ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले कट्टरपंथियों के कारण भारत में समन्वयात्मिकता बुद्धि वाले साधक कुंठित हो उठे। ऐसी परिस्थितियों में कबीरदास का आविर्भाव हुआ। बचपन में किसी भी बच्चे पर माता-पिता जो अपने धर्म, विचार आदि का संस्कार डालते हैं, वे उन्हें नहीं मिले। इसीलिए वे हिन्दू होकर भी हिन्दू नहीं थे और मुसलमान होकर भी मुसलमान नहीं थे। वे ऐसे मिलन बिन्दु पर खड़े थे जहाँ से हिंदुत्व, इस्लाम एवं अन्य सभी धर्ममार्गों के गुण-दोष स्पष्ट दिखाई देते हैं।



वे ऐसे पांडित्य को बेकार समझते हैं जो केवल ज्ञान का बोझ ढोने का काम करता है एवं वेदोपुराणों के ऐसे ज्ञान को निरर्थक मानते हैं, जो मनुष्य में सच्चे प्रेम की ज्योति नहीं जला सकता। ऐसे वेदांतियों, धर्मग्रंथ के प्रकांडविद्वानों को पंडित नहीं मानते जिसके हृदय में अपनी जाति, कुल, ज्ञान के गर्व के कारण निम्न जातियों, मानव मात्र के प्रति प्रेम का भाव न उत्पन्न हुआ हो -

“पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय

ढाई आखर प्रेम का, पढ़ै सो पंडित होय।”

इस प्रेम की प्राप्ति की धर्म साधना में उन्होंने हिन्दू और मुसलमान दोनों के पाखंडों का घोर विरोध किया एवं उसे अपनी सच्ची वाणी से इस प्रकार प्रहार किया -

1. कर में तो माला फिरै, जीभ फिरै मुख माहिं।
मनवा तो चहूँ दिसि फिरै, यह तो भक्ति नाहिं।
2. पाथ पूजै हरि मिलै तो, मैं पूजूँ पहार।
तातै तो चाकि भली, पीस खाय संसार।।
3. काँकर पाथर जोरि कै, मस्जिद लगी बनाय।
ताँ चढिँ मुल्ला वाँग दे, क्या बहरा हुआ खुदाय।।
4. दिन में तो रोजा रखत हैं, रात हनत हैं गय्या।
यह तो खून वह बन्दगी, कैसी खुशी खुदाय।।

उस समय विभिन्न संप्रदायों में अनेक प्रकार के अनाचार बाह्य आडंबर आदि प्रविष्ट हो चुके थे। कबीर ने अपने समय की समार्जन अवस्था में सुधार करने का बड़ा प्रयत्न किया। उन्होंने अपने समय के धार्मिक पाखंडों का खंडन किया। वे एक ओर जहाँ हिन्दू-मुस्लिम एकता के समर्थक थे वहीं दूसरी ओर हिन्दू एवं अन्य समाज में फैली विषमताओं को दूर करने के पक्षधर भी थे। वस्तुतः वे एक आदर्श मानव समाज की स्थापना के लिए आकुल थे।

आज की सच्चाई

महादेव सूर्यवंशी, खलासी



कोई टोपी तो कोई अपनी पगडी बेच देता है,
मिले गर भाव अच्छा जज भी कुर्सी बेच देता है।
तवायफ फिर भी अच्छा है के वो सीमित है कोठे तक,
पुलिस वाला तो चौराहे पे वर्दी बेच देता है।
जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी,
जिस बेटी की खातिर बाप किडनी बेच देता है।
कोई मासूम लडकी प्यार में कुर्बान है जिस पर,
बना कर वीडियो उसकी वो प्रेमी बेच देता है।
जान दे दी वतन पर जिन बेनाम शहीदों ने ,
एक आदम खोर नेता इस वतन को बेच देता है।

राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना
देश की उन्नति के लिए आवश्यक है ।

महात्मा गांधी

आम का पेड़

बी.के. सोनपरोते, कार्यालय अधीक्षक

गाँव में एक टीला था, जिस पर एक आम का पेड़ था। कभी उस पर ढेर सारे आम लदे रहते थे। पत्तों से धनी छाया बनी रहती और उधर से गुजरने वाले लोग और जंगल के जानवर उसकी छाया में आराम करते और पके फल भी खाते, लेकिन अब वह पेड़ बूढ़ा हो चला था और उस पर केवल सूखी डालियाँ बची थीं। वह आम का पेड़ इस बात से बहुत दुःखी था।



पेड़ को अपना जीवन बेकार लगने लगा था, एक दिन उसे लगा की उसका अंत निकट है, उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह मरने से पहले दूसरों के काम आना चाहता है। एक दिन वहाँ खूब वर्षा हुई। गाँव में तेजी से पानी भरने लगा, छोटे जानवर जान बचाने के लिए टीले की ओर दौड़े, जानवरों को नजदीक पाकर पेड़ को खुशी हो रही थी। अब वर्षा का पानी टीले तक पहुँच गया था, उन्हें लगा कि अब वे टीले पर भी आकर पानी से डुबने से बच नहीं पाएंगे। पेड़ से रहा न गया और उसने अपनी कमजोर डालियों को झुका दिया, छोटे-छोटे सभी जानवर डालियों पर चढ़कर बैठ गए।

जानवर पेड़ की सराहना कर रहे थे। पर पेड़ को चिंता सताए जा रही थी क्योंकि अब उसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं रही थी और ऊपर से मिट्टी भी गीली थी, पेड़ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और सोचा कि जब तक पानी उतर न जाए, उसे खड़ा ही रहना है।

आखिर वर्षा थम गई। जानवर डालियों से और टीले से पानी के नीचे उतरने का इंतजार करने लगे। तभी पेड़ को लगा कि उसकी जड़ें बस उखड़ने वाली हैं, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जड़ों को गीली मिट्टी में टीकाकर रखने की पुरजोर कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद पानी उतर गया और सभी जानवर टीले से उतरे तो उस आम के पेड़ की जड़ें उखड़ गईं और वह जोर की आवाज के साथ नीचे की ओर गिर गया।

अतः तात्पर्य यह है कि, अगर हम अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कुछ कर सकें, तो बुरा क्या है, चाहे इसके लिए तूम निंदा के पात्र भी बनों या अनावश्यक बुराई भी लेना पड़े लेकिन अपने कर्तव्य को ईमानदारी से, सच्चाई से करते रहो, नीची, ओछी, सोच वालों से मत डरो और याद रखो कि जब भी किसी को तूमहारी मदद की जरूरत हो तो मदद करने से पीछे मत रहो।

सही सोच

प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ काम करता है, किन्तु ऐसे बहुत कम हैं, जो अपने काम को भरसक उत्तम तरीके से करते हैं। जो ऐसा करते हैं वे ही सफल होते हैं। ना कि जो कार्य करने का केवल दिखावा करते हैं और सही कार्य करने के लिए बहाना बनाते हैं।

ग्राम पंचायत का महत्व

श्री एस.जी. पराते, सहायक

हमारे देश में अन्याय और न्याय के बीच में हमेशा विवाद चलता रहा है। इस विवाद का निपटारा करने के लिए कोई-न-कोई न्यायप्रणाली हमेशा रहती है। लेकिन गाँव में न्यायप्रणाली के सूचारू रूप से कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत को यह दायित्व प्रदान किया गया है।



ग्राम पंचायत का दायित्व पांच पंचों की समिति को सौंपा जाता है। इन पंचों का निर्वाचन गांव के नागरिकों द्वारा मतदान पद्धति से किया जाता है। पांच पंचों में से एक मुख्य पंच होता है। उसे सरपंच के नाम से संबोधित किया जाता है। कुछ वर्षों पहले तक प्रायः पुरुष ही पंच रहते थे, किंतु वर्तमान में महिलाओं को भी पंच बनने का अधिकार प्राप्त हुआ है। महिलाओं में भी प्रभावशाली, प्रतिभाशाली महिलाएं आज सरपंच के कार्य का निर्वहन कर रही हैं।

गांव में पंचायत के बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। जिस तरह शहरों में नगरपालिकाएं कार्य कर रही हैं, उसी तर्ज पर ग्रामपंचायतें गांवों के कार्य की देखरेख करती हैं। गांव में लगनेवाले मेले और बाजार का प्रबंध भी ग्राम पंचायतों के अधीन ही है। नये रास्तों का निर्माण और पुराने रास्तों की मरम्मत का कार्य भी इसके अंतर्गत आता है। गांव में स्वच्छता अभियान का कार्य भी ग्राम पंचायत के द्वारा ही किया जाता है। भारत सरकार द्वारा ग्राम स्वच्छता अभियान से जुड़े गाँवों को उनके स्वच्छता अभियान में विशेष कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। गांव में किसी संक्रामक बीमारी के फैलने पर भी ग्राम पंचायत भारत सरकार की सहायता से बीमारी न फैलने के लिए रोकथाम के उपाय भी करती है।

ग्राम पंचायत गांव में एक न्यायालय की तरह भी कार्य करती है। गांव में होनेवाली पारिवारिक समस्याओं, आपसी झगडों के निपटान का कार्य भी करती है। ग्राम पंचायत अपने स्तर पर इन झगडों का निपटारा भी करती है, जिससे शहरों में स्थित न्यायालयों तक जाने की जरूरत गांववासियों को नहीं होती है। गांववालों को आपसी झगडों के निपटान के लिए शीघ्र और सस्ता न्याय भी प्राप्त हो जाता है। ग्राम पंचों को गांववासी परमेश्वर की तरह ही मानते हैं।

ग्राम पंचायत को भारतीय लोकतंत्र की नींव माना जाता है तथा ग्राम पंचायत के कारण ही भारत के हर गांव तक लोकतंत्र का प्रसार हुआ है। हमारी न्याय प्रणाली ने ही गांवों तक अपनी जड़ें जमाई हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पंचायत राज ही लोकतंत्र की ग्रामीण पाठशाला है। इसलिए सभी गांवों की प्रगति में वहाँ की पंचायत का बड़ा योगदान होता है।

“क्या इस दुनिया में ईश्वर है”

डी.सी.अंभोरे, सर्वेक्षक

यह महत्वपूर्ण सवाल है जो हर एक के मन में आता है। मन की भाषा कुछ और लगने की है। लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ लगे तो मैं मानूँगा कि ईश्वर है। अगर आसमान से फूल गिरे तो मूझे लगेगा कि इश्वर है। मन का तौलने का तराजू ही गलत है, जिस पर इंसान को कभी शंका नहीं आती। जिस तरीके से वह चाहता है कि मुझे लगे वह तरीका ही गलत है। जिस तरीके से आप ईश्वर को देखना चाहते हैं, वह तरीका ही गलत है। उस तरीके से आप ईश्वर को नहीं देख सकते।



जैसे कोई अपनी आँखों पर पट्टी बाँधकर फूलों की सुंदरता देखने जाए तो वह कैसे देखेगा? वह अपना पत्थर लेकर बगीचे में जाएगा और हर एक फूल पर घिसकर देखेगा कि यह फूल सुंदर लगता है या नहीं। आप उसे कहेंगे पहले पत्थर फेंको, अपनी आँखें खोलो। इस पत्थर से तूमने फूलों को नष्ट कर दिया है। इस तरीके से सुंदरता नहीं दिखाई देती।

आज की मनुष्य जाति इसी ढंग से ईश्वर को जानना चाहती है, परंतु उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है। उसे यह पता नहीं है कि जिन आँखों से वह ईश्वर को देखना चाहता है, उन आँखों पर गहरी मान्यताओं, गलत प्रवृत्तियों की पट्टी बंधी है, तो वह कैसे ईश्वर को देख पाएगा? और वह कहता है, कि अगर ईश्वर है तो फिर मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? जिसे मैंने कभी देखा नहीं, जिसे मैंने कभी जाना नहीं, उस अनदेखे पर मैं कैसे भरोसा करूँ कि ईश्वर है।

ऐसे मनुष्य को यह बताना जरूरी है कि जिस ढंग से वह ईश्वर को जानना चाहता है, उसी ढंग से कभी जान नहीं पायेगा क्योंकि उसके देखने का ढंग गलत है। अगर उसे ईश्वर को ठीक ढंग से जानना है तो उसे अपने भीतर देखना होगा, अपने ही भीतर खोजना होगा।

हमारी नागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है।

पं. राहुल सांकृत्यायन

वैज्ञानिक मनोवृत्ति

सत्यव्रत शशीभूषण, पटलचित्रक ग्रेड II



‘वैज्ञानिक मनोवृत्ति’ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तत्कालीन वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस मनोवृत्ति की आवश्यकता पर बल दिया था। उनका विचार था कि जब तक किसी राष्ट्र के नागरिकों की वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं होगी, तब तक उस राष्ट्र का पूर्णतया विकास नहीं हो सकता, भले ही वह वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में कितनी ही तरक्की क्यों न कर लें। संभवतः इसका कारण यह है कि वैज्ञानिक शोध एवं टेक्नोलोजी का व्यापक प्रचार प्रसार होने का यह अर्थ कतई नहीं है कि समाज की मनोवृत्ति भी वैज्ञानिक हो गई है। यह एक मनोवृत्ति है, जो एक विशेष प्रकार के आचार की अपेक्षा रखती है। इसका प्रयोग सार्वभौमिक है।

वैज्ञानिक मनोवृत्ति के लिए निम्नलिखित आधारों को स्वीकार करना आवश्यक है :-

1. विज्ञान का तरीका ज्ञान को अर्जित करने का एक व्यवहारिक तरीका है।
2. वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त ज्ञान के द्वारा मानवीय समस्याओं को समझा और सुलझाया जा सकता है।
3. मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा और प्रगति के लिए नैतिकता से लेकर राजनीति तक मनुष्य की गतिविधियों के समस्त पहलुओं में और प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान के तरीके का अधिकतम प्रयोग अनिवार्य है।
4. वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त किये गए ज्ञान को निकटतम सत्य मानते हुए ऐसी हर बात पर शंका उठाई जाए, जो उस सत्य से मेल नहीं रखती है, साथ ही उस समय के ज्ञान के मौजूदा आधार की परीक्षा - समीक्षा होती रहे।

जिज्ञासा की भावना और प्रश्न करने एवं स्वयं से पूछे जाने का अधिकार वैज्ञानिक मानसिकता की प्रारंभिक आवश्यकता है। किसी वस्तु, घटना अथवा चमत्कार को देखकर ‘क्या’, ‘कैसे’ अथवा ‘क्यों’ पूछने को जो प्रेरित करे, वही वैज्ञानिक मानसिकता है।

वैज्ञानिक मानसिकता का अंतः दृष्टि, तर्क और अंतर्ज्ञान नियमबद्ध कार्य और सृजनात्मक अंतः प्रेरणा से कोई विरोध नहीं है। यह मनुष्य में ऐसी मनोवृत्ति का निर्माण करती है, जिससे वह यह समझता है कि बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानता, लेकिन यह मनोवृत्ति उसके चारों ओर घिरे रहस्य के पर्दों को खोलने के लिए उसे प्रेरित करती है, साथ ही इस बात पर भी जोर देती है कि वैज्ञानिक सिद्धान्त, नियम और तथ्य मनुष्य के लिए ऐसी भविष्यवाणी करने की गुंजांइश मानते हैं, जिसकी परख की जा सके। वैज्ञानिक मानसिकता ‘मुझे नहीं मालूम’ कह सकने के साहस की अपेक्षा रखती है।

वैज्ञानिक मानसिकता में गहरी भावनात्मकता होती है एवं उसका एक सौंदर्यबोध भी होता है, और संभवतः इसीलिए दो समान रूप से तर्क सिद्धान्तों के बीच मनुष्य ने अक्सर उसी सिद्धान्त को चुना है, जो सरल होने के साथ सुन्दर भी रहा है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति को समझने के लिए डिस्कार्ट के तर्क संबंधी चार स्वर्ण नियमों की सहायता ली जा सकती है, जिनसे हम किसी समस्या का वैज्ञानिक निरूपण एवं समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं, ये नियम हैं :-

1. मैं ऐसी चीज को सत्य न मानूँ, जिसे मैं स्पष्ट रूप से सत्य के रूप में पहचान न लूँ और मैं केवल उतनी ही चीज स्वीकार करूँ जिसके बारे में मेरे मन में कभी कोई शंका होने की गुंजाइश न रहे।
2. प्रत्येक समस्या को जितने खण्डों में विभाजित किया जा सके, उतने खण्डों में बाँट लूँ।
3. उस चीज के बारे में चिंतन शुरू करूँ, जो समझने में सबसे सरल व आसान लगे और यहाँ से धीरे-धीरे ऊपर उठते हुए जटिलतम वस्तु के ज्ञान तक पहुँचूँ।
4. मेरा इतना पूर्ण और पुनर्विक्षण इतना व्यापक हो कि मैं आश्चर्य हो सकूँ कि कोई चीज मुझसे छूटी नहीं है। धर्म और विज्ञान दोनों ही मूलतः मानव कल्याण हेतु कार्य करते हैं लेकिन वैज्ञानिक मनोवृत्ति के अभाव में दोनों से ही समाज का कल्याण एवं विकास संभव नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि अंधविश्वास और असंगत विश्वास अधिकतर हमारे जीवन को निर्देशित करते हैं। इन्हीं के आधार पर हम अपनी यात्रा का दिन या नौकरी की नियुक्ति का दिन, व्यापार प्रारम्भ करने का दिन या विवाह का दिन तय करते हैं। यदि हमारे वश में होता तो हम अपने जन्म का दिन भी पहले से तय करते आते। शुभ मुहूर्त की चिन्ता हमें तब नहीं होती जब हम भ्रष्ट या स्वार्थी होना चाहते हैं, भ्रष्टाचार या शोषण करने के लिए हर दिन ही शुभ होता है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति के अभाव में धर्म हमें विवेकहीनता के आगे समर्पण करने को मजबूर करता है।

हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। मनुष्य चन्द्रमा पर पहुँच चुका है और सकुशल वापस भी आ चुका है फिर भी ग्रहण के बारे में दो सिद्धान्त हैं, एक कक्षा में पढ़ाने के लिए, दूसरा घर पर मानने के लिए। सूर्य और चन्द्रमा राहु और केतू का ग्रास अब भी बने हुए हैं। जीव विज्ञान के अध्यापक डार्विन का विकासवादी सिद्धान्त कक्षा में तो वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाता है परंतु अपने जीवन में नितांत अवैज्ञानिक सिद्धांत पर विश्वास करता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए विज्ञान जीविका का साधन मात्र है, विधि नहीं है। वे अपने वैज्ञानिक अनुसंधान में तो उच्च कोटि की तर्क बुद्धि से काम करते हैं पर जीवन से संबंधित अन्य विषयों में वे तर्कहीन हो जाते हैं, अतः वैज्ञानिक भी इस मनोवृत्ति के अभाव में समाज को वह देने में असमर्थ हैं जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। वैज्ञानिक मानसिकता हमें इस सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रति सावधान करती है कि विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के पास मनुष्य की सारी समस्याओं का हल मौजूद है। सच तो यह है कि वैज्ञानिक मानसिकता समस्याओं को वैज्ञानिक ज्ञान की कसौटी पर रखकर सामाजिक काया-कल्प के लिए प्रयत्न करती है। जब

मनुष्य एक दूसरे के पास आते हैं तो ईश्वर से भी अलग हो जाते हैं। अतः एक दूसरे के पास आने के लिए हमें चाहिए कि हम धर्म और विज्ञान के परस्पर विरोध पर ध्यान न दें, क्योंकि दोनों के विरोधाभास ने ही मनुष्य के साथ विश्वासघात किया है। यदि मनुष्य वैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ दोनों का सहारा लेकर कार्य करे तो दोनों ही उसका उद्धार कर सकते हैं।

आज दुनिया के आधे वैज्ञानिक और तकनिशियन तो रक्षा एवं भौतिक विकास संबंधी अनुसंधानों में लगे हुए हैं या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अर्थोपार्जन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनके सामाजिक दायित्व की चर्चा किस तरह की जाए यह भी एक विचारणीय विषय है।

सम्पूर्ण मानव समाज के सामने उपस्थित समस्याओं का निराकरण न तो अकेला विज्ञान कर सकता है न ही आध्यात्म अकेला कुछ कर सकता है। क्या यह संभव है कि दोनों मिल जुलकर नये मूल्यों एवं वैज्ञानिक मनोवृत्ति का एक ऐसा आधार तैयार कर दें, जिससे कि विज्ञान के लाभ सही अर्थों में कल्याणकारी एवं सर्वसामान्य के लिए सुलभ हो जाए ?

और अन्त में यह जान लेना अत्यंत रोचक होगा कि 2500 वर्षों से भी पहले भगवान बुद्ध ने कहा था कि -

“किसी चीज पर इसलिए विश्वास मत करो कि तूमने उसकी कल्पना की है, तूमहारा शिक्षक तूमहें बताए, उस पर इसलिए विश्वास मत कर लो, क्योंकि तूम उसका सम्मान करते हो, किन्तु, जिस चीज को तूम उचित परीक्षण और विश्लेषण के बाद सभी के लिए हितकर और कल्याणकारी पाओ, उस सिद्धान्त पर विश्वास करो और उसे अपना मार्गदर्शक बनाओ।”

उनका यह कथन वैज्ञानिक मनोवृत्ति के अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट करता है। वर्षों पहले भी इसकी आवश्यकता थी और आज के इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में इसकी आवश्यकता सबसे अधिक है। मनुष्य के कल्याण के लिए विज्ञान से अधिक वैज्ञानिक मनोवृत्ति सहायक होगी।

हिन्दी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद

“जातिवाद का जन्म”

डी.सी.अंभोरे, सर्वेक्षक



संसार में मानव जाति की श्रेष्ठता को कायम रखने का श्रेय स्वयं मानवता को ही जा सकता था परंतु अतीत कि ओर देखने से पता चलता है कि जातिवाद के जन्म के पीछे स्वयं हमारा ही हाथ है, परंतु इसका उद्देश्य घृणा नहीं बल्कि हर आदमी को उस की योग्यता के अनुसार काम करने की सुविधा देना था क्योंकि राजपाट चलाने के लिए हर वर्ग का पूरा-पूरा ख्याल रखना पड़ता है, फिर यह तो उस समय कि बात है, जब लोग युद्ध अधिक करते थे। एक राजा दूसरे पर आक्रमण करने के लिए तैयार ही रहता था।

ऐसे अवसरों पर शासन को चलाने में काफी कठिनाई होती थी, तभी सब विद्वानों ने मिलकर राजा को सलाह दी कि यदि आप अपने राज्य को ठीक ढंग से चलाना चाहते हैं, तो हर इंसान को उसकी योग्यता और कर्म के अनुसार उसे एक वर्ग का नाम दे दें।

विद्वानों की बात राजा को जँच गई तो उसी समय राजा ने अपने विद्वानों की विशेष सभा बुलाकर उसमें यह निर्णय लिया ।

1. जो आदमी ज्ञान और शिक्षा देता है वह ब्राह्मण माना जाएगा।
2. जो लोग कारोबार करेंगे, व्यापार करेंगे वे वैश्य जाति से संबंध रखेंगे ।
3. जो लोग वीर होंगे, बहादुर होंगे सेना में भर्ती होंगे वे क्षत्रिय होंगे एवं
4. जो लोग इन सब की सेवा करेंगे वह जन सेवक, हरिजन कहलाएँगे।

यही से जातिवाद का जन्म हुआ इसके पीछे किसी वर्ग की बुराई की भावना काम नहीं कर रही थी, बल्कि इसके पीछे यही भावना काम कर रही थी कि सब लोग अपने-अपने कार्य में अपनी योग्यता के अनुसार लगे रहें।

धर्म की उपयुक्त परिभाषा आधुनिक विज्ञान के अनुकूल होनी चाहिए । यदि धर्म विज्ञान की कसौटी पर सही नहीं उतरता है, तो वह मजाक या हंसी का विषय बन जाता है। इस तरह से जीवन के सिद्धांतों के रूप में उसका महत्व सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में धर्म को यदि वास्तव में कार्य करना है, तो उसे बुद्धि या तर्क पर आधारित होना चाहिए जिसका दूसरा नाम विज्ञान है।

आज धर्म के नाम पर जितना राज काज और व्यापार हो रहा है, शायद इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। डॉ बाबासाहेब अम्बेडकरजी ने मानव जाति के सामने उन्नति के नए द्वार खोलने का जो प्रयास किया है उन अक्षरों की एवं उनके विचारों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही होगी।

डॉ बाबासाहेब अम्बेडकरजी ने राजनीति से ऊँचे उठकर सदा मानवता की बात ही सोची इसके साथ ही उनके अपने विचार यही हैं कि यदि मानवता की रक्षा करनी है तो सबसे पहले मानव की रक्षा करो ।

महाराष्ट्र का विजयस्तंभ

प्रवीण जामगड़े,क.हि.अनु.

पुणे जिले में अहमदनगर मार्ग पर भीमा नदी के किनारे बसा कोरेगांव नामक गांव है जहाँ महाराष्ट्र का विजयस्तंभ स्थित है। मुझे इस विजयस्तंभ को प्रत्यक्ष देखने का अवसर 01 जनवरी 2013 को मिला और इस विजयस्तंभ को देखकर मुझे महाराष्ट्र के शूरवीर योद्धाओं के साहस की अनुभूति हुई।



पुणे जिले के उत्तर-पश्चिम भाग में भीमा नदी के किनारे कोरेगांव ग्राम स्थित है। इसी जगह अंग्रेजों और पेशवाओं के मध्य 01 जनवरी 1818 को युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई। इतिहास में, इस युद्ध को एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है।

01 जनवरी 1818 में हुए कोरेगांव के युद्ध में संख्यानुसार बेहतर पेशवाओं की सेना से अधिक कुछ सौ सैनिकों की शानदार जीत, जिसके महत्व को ध्यान से छुपा दिया गया है। हालांकि भारतीय इतिहासकारों ने हमेशा ही भारतीय इतिहास का असली चेहरा नहीं दिखा कर हमें गुमराह किया है।



इस युद्ध में जहाँ पेशवाओं की ओर से लगभग 28,000 सैनिक (जिसमें 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक) थे तथा अंग्रेजों की ओर से 500 महार लड़ाके (तत्कालीन समय में महाराष्ट्र में एक अछूत जाति) के एक छोटे से बल के मध्य हुआ। इस युद्ध के लिए तत्कालीन समय में एक अलग ऐतिहासिक आयाम है।

भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के विषय में सामान्यतः लोग यह मानते हैं कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और सेना थी इसलिए उन्होंने आसानी से भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेजों ने भारत के राजाओं-महाराजाओं को अंग्रेजी सेना से नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों की सहायता से परास्त किया था। अंग्रेजों की सेना में बड़ी संख्या में भर्ती होनेवाले ये सैनिक कोई और नहीं अपितु इस देश के निम्न वर्ग के तत्कालीन अछूत कहलाने वाले लोग थे।

यह युद्ध भारतीय निम्न जाति के समझे जानेवाली अछूत और ब्राह्मणवाद के बीच भी था। महार सैनिकों के लिए यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, लेकिन यह आत्मसम्मान, गरिमा के लिए भी था। उनकी लड़ाई थी ब्राह्मणों के शासन के अधीन मराठी समाज में निचले तबके के अछूतों के लिए कड़े ब्राह्मण कानूनों के खिलाफ थी। महार सैनिकों को किसी भी हथियार धारण करने की अनुमति नहीं थी और शिक्षा पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। उनके इन प्रतिबंधों का पालन नहीं करने पर उन्हें यातनाएं दी जाती थी। भीमा-कोरेगांव का युद्ध देश के ब्राह्मण शासक वर्ग को अछूत समझे जाने वालों को कड़ा जवाब था।



यह युद्ध बंबई के मूल निवासी लाइट इन्फैंट्री के 20,000 घुड़सवारों और 8,000 पैदल पेशवा सेना के ब्रिटिश रेजिमेंट के कुछ सौ महार सैनिकों के बीच कोरेगांव में जनवरी 1818 को हुआ था। ब्रिटिश रेजिमेंट के सैनिकों को शिरूर से भोजन और पानी के बिना, जो भीम कोरेगांव से लगभग 27 मील की दूरी है, तय करने के बाद महार योद्धाओं ने 12 घंटे तक पेशवा सेना से लड़ाई की और दिन के अंत तक पूरी तरह से उन्हें परास्त कर दिया। इस लड़ाई में 22 महार सैनिक भी शहीद हो गये थे।



इसी युद्ध में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और महार सैनिकों के असाधारण साहस की याद में विजयस्तंभ का निर्माण किया गया, जिसमें शहीद हुये 22 सैनिकों के नामों को लिखा गया। अंग्रेजों ने इसके पश्चात एक रेजिमेंट बनाया जिसका नाम महार रेजिमेंट था। वर्तमान में भी महार रेजिमेंट भारतीय सेना में अपनी सेवा प्रदान कर रही है।

मैंने अपने जीवन में कई नववर्षों का स्वागत कई तरीकों से किया था। लेकिन 01 जनवरी 2013 को भीमा-कोरेगांव, पुणे में जाकर एक गौरवशाली इतिहास की जानकारी हुई। मुझे विजयस्तंभ का इतिहास एवं प्रत्यक्ष दर्शन आजीवन स्मरण रहेगा।

लोग आईना हैं!

बी.के. सोनपरोते, कार्यालय अधीक्षक

एक मनोवैज्ञानिक एक बार एक कॉलेज पहुँचा, वहाँ कुछ छात्रों को उसने जमा किया और उन्हें एक काम बताया। वह यह कि जिन लोगों से तूम्हें नफरत है उनके नाम आधे मिनट में लिखकर मुझे दें।



उसमें से कुछ लड़के तो मुश्किल से एक आदमी का नाम लिख सके। परन्तु कुछ ने ज्यादा लिखे - एक ने चौदह नाम लिख डाले।

लेकिन इस जाँच का एक रोचक पहलू यह था कि जिन लोगों की सूची में ज्यादा नाम थे वे खुद ऐसे थे जिनसे ज्यादातर लोग नफरत करते थे। जब हम यह देखें कि, हम लगातार दूसरों से नफरत कर रहे हैं, तो हम जरा अपने को टटोलें और मन ही मन अपने से पूछें, “मेरे अन्दर क्या खराबी है?” अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपने चारों तरफ वालों से नफरत करने लगते हैं तो इसका यह कारण नहीं होता कि वे हमारे बैर (शत्रु) के लायक हैं बल्कि यह होता है कि हमारे अपने अन्दर ही किसी विशेष गुण की कमी है जो हम उनके अंदर खोजते हैं और न पाने पर उन्हें दोषी ठहराते हैं। दूसरे लोग आईना हैं - इस मायने में या इसे माने कि उनके अन्दर हम जो कुछ देखते हैं वह हमारा अपना ही अक्स होता है।

इन्सान का अपने से बढ़कर दूसरा दुश्मन नहीं होता।

“ कौन ”

डी.सी.अंभोरे, सर्वेक्षक

अगर रख सको तो एक निशानी हूँ मैं
खो दो तो सिर्फ एक कहानी हूँ मैं
रोक पाए ना जिसको ये सारी दुनिया
वो एक बूँद आँख का पानी हूँ मैं
सबको प्यार देने की आदत है हमें
अपनी अलग पहचान बनाने की आदत है हमें
कितना भी गहरा जखम दे कोई



उतना ही ज्यादा मुस्कराने की आदत है हमें
इस अजनबी दुनिया में अकेला खवाब हूँ मैं
सवालों से खफा छोटा सा जवाब हूँ मैं
जो समझ न सके मुझे उनके लिए “कौन”
जो समझ गये उनके लिए खुली किताब हूँ मैं

हिंदी है सम्मान की भाषा

नवनाथ किसन उगलमुगले, खलासी



शब्दों, वर्णों और छंदों की, हिंदी है अनंत धरोहर,
है असीम इसकी प्रस्तुति, अनुपम है इसका हर स्वर।
हिंदी बहता नीर है, धीर, वीर, गंभीर है,
नहीं है यह मात्र एक भाषा, हिंदी है जन-जन की भाषा।
भाषा नहीं भावना है यह, अभिव्यक्ति का है आसमान,
परिवर्तन की चिर शक्ति इसमें, यह है देश का स्वाभिमान।
स्वतंत्रता आन्दोलन में उभरी, बन हिंदी एक सशक्त हथियार,
राष्ट्रीय एकता क्रांति की, थी यह अनोखी सूत्रधार।
हिंदी है विज्ञान की भाषा, कला और ज्ञान की भाषा,
जन-जन के उत्थान की भाषा, गौरव और सम्मान की भाषा ।

* चुटकुला *

डॉक्टर :- आपके तीन दाँत कैसे टूट गए ?
मरीज :- पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी।
डॉक्टर :- तो खाने से इन्कार कर देते।
मरीज :- जी, वही तो किया था.....।

महादेव सूर्यवंशी, खलासी



आँसू जो बह रहे हैं इन्हें बहने दो,
ये कह रहे हैं दिल की बात, कहने दो।
बहुत बेवफा हो तूम, ये हमको है मालुम,
तूम अपनी वफा की बात, अपने तक ही रहने दो।
मिला तो क्या मिला तूमहें चाहने के बाद,
बस दुख ही सह रहे हैं, हमें सहने दो।
तूमने तो कह डाला सब हाल-ऐ-दिल अपना,
अब मुझ को अपनी दास्तान भी कहने दो....

जीवन से ना हार

नवनाथ किसन उगलमुगले,खलासी

जीवन से ना हार मनुज तू जीवन से ना हार,
सबसे बड़ी सौगात है जीवन, जीवन से ना हार।
एक अंधेरे से क्यों डरता, लाख सितारे झिलमिल जाएंगे,
एक निराशा में क्यों घुटता, लाख सहारे चल आएँगे।
जितने काँटे राह में तेरे, फूल भी उतने खिल आएँगे,
एक रास्ता बंद मिला तो, लाख रास्ते खुल जाएँगे।
जीवन से ना हार मनुज तू जीवन से ना हार,
कैसा सुख और कैसी खुशियाँ, जो दुःख से पहचान न हो।
साहिल भी ना लगती प्यारी, अगर तूफानों से टकराव न हो,
फूल बिछौने भी न भाते, जो काँटे की चुभन तूझे न याद हो।
मंजिल भी ना हार लगती प्यारी, अगर टूटे ख्वाबों का अहसास ना हो,
जीवन से ना हार मनुज, तू जीवन से ना हार मनुज तू जीवन से न हार।
बीत गया जो उसके गम में आने वाला कल ना खोना,
आँधी आए तूफाँ आए, तू बस अपना बल ना खोना।
खुशियों से भरा जो होगा वो, आने वाला पल ना खोना,
जो ना आए वो पल तो भी, तू अपना मनोबल ना खोना।
जीवन से ना हार मनुज तू जीवन से ना हार।



* चुटकुला *

जज :- अच्छा तो इस व्यक्ति ने तूम्को कैसी गालियाँ दी।
नौजवान :- हुजुर वह सब गालियाँ शरीफों के सामने बयान करने योग्य नहीं हैं।
वकील :- अच्छा तो हम सब यहाँ से चले जाते हैं, तूम जज साहब को अकेले सुना देना।

हिन्दी भारतीय संस्कृति की आत्मा है।
कमलापति त्रिपाठी

कार्यालय में संयम कैसे रखें

एस.ओ. जैकब, सहायक



- थोमस - नमस्ते राव जी। आप कैसे हैं, क्या साहब आप आज नौ बजे ही दफ्तर में आ गए। क्या लोकल जल्दी मिला थी?
- राव - अरे भैया, तूमको मालूम नहीं है कल प्रधान कार्यालय से एक ज्ञापन आया है, उस संदर्भ में निदेशक कार्यालय ने आदेश दिया है कि जो अधिकारी या कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे उनके खिलाफ कार्यवाई की जाएगी।
- थोमस - इस प्रकार के आदेश तो समय-समय पर कितने निकलते हैं। उनका तो काम ही आदेश जारी करने का है।
- राव - अरे नहीं, यह आदेश साधारण नहीं है। सुना है कि निदेशक स्वयं समय-समय पर अनुभागों में आकर जाँच करेंगे और देर से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कारवाई की जाएगी। यह भी सूचित किया गया है कि खाने या चाय के समय समाप्ति होने पर भी कर्मचारी कार्यालय के बाहर घूमते रहते हैं या गप्पे मारते रहते हैं। इस कारण काम की हानि होती है और अनुशासन में गिरावट आती है। इस अवधि को सीमित रखने के लिए कदम उठाने का भी आदेश दिया गया है।
- थोमस - अच्छा। तब तो इस पर ध्यान देना होगा और समय से आने की कोशिश करूँगा। क्या इस आदेश में और कुछ भी लिखा था।
- राव - हाँ भाई। जो कर्मचारी/अधिकारी देर से कार्यालय में आएँगे और अपने स्थान पर नहीं पाए जाएँगे उनकी दैनिक रिपोर्ट प्रधान कार्यालय को भेजी जाएगी।
- थोमस - इस रिपोर्ट का क्या परिणाम होगा ?
- राव - इस का प्रभाव गोपनीय रिपोर्ट अथवा ए.पी.ए.आर. में पड़ेगा। इसके अलावा महीने में तीन या अधिक दिन देर से आने वाले से स्पष्टीकरण माँगा जाएगा और आकस्मिक छुट्टी काट दी जाएगी। यह आदेश इस ओर भी संकेत करता है कि जो कर्मचारी बिना आवेदन पत्र और बिना पूर्व स्वीकृति लिए दफ्तर में न आए उसकी अनुपस्थिति की अवधि को असाधारण छुट्टी माना जाएगा और बिना मंजूरी से अनुपस्थित रहने का स्पष्टीकरण भी देना होगा। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने से कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई की जाएगी।
- थोमस - राव जी आप बोलिए यह आदेश जरूरी नहीं था। कार्यालय में लोग हाजिरी के बारे में सोचते भी नहीं थे। प्रति दिन कार्यालय की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। लोग छुट्टियों में 2-3 घण्टे दफ्तर आकर दूसरा दिन पूरे दिवस की छुट्टी ले जाते थे। इस प्रकार का अनियमित आचरण कार्यालय के अनुशासन के खिलाफ है। इस आदेश के बाद कुछ लोगों के खिलाफ कारवाई कि गई तो स्थिति जरूर सुधरेगी।

- राव - देखो थोमस, यह बात कितनी खराब है, सरकार अपने कर्मचारियों को पूरे दिन के काम के लिए पूरा वेतन और सुविधाएँ देती है। अभी लोग सौ रुपये वेतन पाने से बीस रुपये का काम भी करने के लिए इच्छुक नहीं हैं और भी काम पर देर से आए तो यह कितनी बेईमानी होगी। इस प्रकार के विचार और झूठी सुधारने के लिए कोई उपाय होना चाहिए।
- थोमस - मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। मेरा तो यह विचार है कि हमें कर्मचारी गणों में एक नया आंदोलन चलाना चाहिए जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के मन में यह भावना आनी चाहिए कि जहाँ हम बेहतर वेतन भत्तों के लिए लड़ते हैं वहीं हमें काम के प्रति सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की भावना को भी पैदा करना चाहिए। तभी हमारा कार्यालय और देश उन्नति कर सकेगा। उन्नति से वेतन में भी असर पड़ेगा। क्या भाई आप इस विचार से सहमत हैं?
- राव - क्यों नहीं, इसी तरह आज छोटे-छोटे राज्य विश्व की शान बने, हम भी अपने और देश के हित के लिए सत्य निष्ठा के साथ काम कर के हमारे कार्यालय का और राज्य का नाम ऊँचा कर सकते हैं।

--*-*-*

वक्त नहीं

महादेव सूर्यवंशी, खलासी



हर खुशी है लोगों के दामन में पर हँसी के लिए वक्त नहीं।
 दिन रात दौड़ती दुनिया में जिन्दगी के लिए ही वक्त नहीं।
 माँ कि लोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं।
 सारे रिश्तों को तो हम मार चुके अब उन्हें दफनाने का वक्त नहीं।
 सारे नाम मोबाइल में हैं, पर दोस्ती के लिए वक्त नहीं।
 गैरों की क्या बात करें जब अपनों के लिए वक्त नहीं।
 आखों में है नींद बडी पर सोने का भी वक्त नहीं।
 दिल है गमों से भरा हुआ, पर रोने का भी वक्त नहीं।
 पैसे की दौड़ में ऐसे दौड़े कि थकने का भी वक्त नहीं।
 तू ही बता ए जिन्दगी इस जिन्दगी का क्या होगा,
 कि हर पल मरने वालों को जीने के लिए भी वक्त नहीं।

जीवन का अनोखा पाठ

बी.के. सोनपरोते, कार्यालय अधीक्षक

वर्तमान में हम सभी न जाने किस सुख की खोज में डूब चुके हैं कि जीवन की जरूरी चीजों से भी दूर होते जा रहे हैं, उसी को नजर में रखते हुए यह प्रेरक प्रसंग :



दर्शनशास्त्र की कक्षा में एक दिन शिक्षक ने छात्रों से कहा कि आज वह जीवन का एक जरूरी पाठ पढ़ायेंगे, इसके लिए उन्होंने अपने साथ लाये काँच के जार को मेज पर रखा और उसमें टेबल टेनिस की गेंदें डाल दी। फिर छात्रों से पूछा, क्या जार भर गया? जवाब आया, हाँ, फिर उसमें छोटे कंकड़ डाले, इससे जार की खाली जगह भर गई। इसके बाद रेत डाली गई, तब छात्रों ने सोचा कि जार पूरी तरह भर गया है।

शिक्षक ने समझाया कि, काँच के जार को अपना जीवन मानो, परिवार, स्वास्थ्य जैसी जरूरी चीजें टेबल-टेनिस की गेंदें समझो, बंगला-गाड़ी जैसी सुविधाएँ कंकड़ और झगड़े, मनमुटाव जैसी छोटी-मोटी बातें रेत मानो, अगर जार में रेत पहले से भरी जाती तो वो गेंदें और कंकड़ नहीं आते, अगर कंकड़ भरते तो गेंदें नहीं आती, लेकिन रेत आ जाती। जीवन भी ऐसा ही है, अगर छोटी बातों के पीछे पड़े तो जरूरी चीजें छूट जाएंगी और जीवन रेत से भर जाएगा। अब आपको यह तय करना है कि प्राथमिकता किसे देनी है।

सही सोच/विचार

- *- जो निष्ठा रखता है, वह सातगुना अधिक शक्तिशाली होता है। सफलता का सबसे पहला नियम है, निष्ठावान बनो और सफलता प्राप्त करो।
- *- अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुन्दर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो, दृढ़तापूर्वक मानना होगा कि, समाज के तीन प्रमुख सदस्य ये काम कर सकते हैं :-
माता, पिता और गुरु ।
- *- अपने देश की भाषा और संस्कृति के समुचित ज्ञान के बिना देशप्रेम की बातें करने वाले केवल स्वार्थी होते हैं।

उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो
जाए।

स्वामी विवेकानंद



वार्षिक समारोह में पुरस्कार वितरण की झलकियाँ।



हिन्दी दिवस समारोह एवं वृक्षारोपण की झलकियाँ।



औरंगाबाद, महाराष्ट्र स्थित अजंता की गुफा का मनोरम दृश्य।



महाराष्ट्र के पर्यटन स्थलों में से एक मुरुड जंजीरा।

गोवा के समुद्र तट का विहंगम दृश्य। ↓



